8.3 देवनागरी लिपि में संशोधन के प्रयास

देवनागरी लिपि में सुधार और मानकीकरण के प्रयासों को हम तीन चरणों में बाँट सकते हैं। पहला चरण महावीर प्रसाद द्विवेदी से शुरू होता है जब उन्होंने सन् 1900 के आसपास "सरस्वती" पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी भाषा की वर्तनी, लिपि और वाक्य-गठन में परिष्कार का महती कार्य शुरू किया। दूसरा चरण हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग के प्रयासों से शुरू होता है जब 1941 में सम्मेलन ने विधिवत् एक लिपि सुधार समिति का गठन किया और जिसकी प्रतिक्रिया के रूप में एक के बाद एक समानधर्मी समितियाँ अस्तित्व में आई और विद्वानों के बीच विवादों का एक लंबा सिलसिला शुरू हुआ। लिपि मानकीकरण का तीसरा चरण स्वतंत्रता के बाद शिक्षा मंत्रालय द्वारा 1961 में अखिल भारतीय स्तर पर गठित मानकीकरण समिति से शुरू होता है जिसने आधुनिक उपकरणों और ज्ञान-विज्ञान तथा टेक्नालॉजी की माँगों को ध्यान में रखते हुए देवनागरी लिपि के मानक रूप स्थिर करने का प्रयास किया।

8.3.1 प्रथम चरण

हिंदी भाषा के मानकीकरण के प्रथम चरण में विद्वानों का ध्यान देवनागरी लिपि पर कम और वर्तनी, शब्द और व्याकरण पर अधिक गया। इस समय तक खड़ी बोली हिंदी भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी थी। मूलत: बोलचाल की भाषा के रूप में व्यापक स्तर पर बोली जाने वाली खड़ी बोली जब साहित्यिक हिंदी भाषा का लिबास पहनकर पहली बार लिखित रूप में लोगों के सामने आई तो अचानक उन्होंने पाया कि बोलते समय इसमें जो रूपगत असंगति छिपी हुई थी वह लिखित रूप में स्पष्ट उजागर होकर सामने आ रही है। हर लेखक और संपादक अपने ढंग से शब्दों की वर्तनी लिख रहा था : उस्का-उसका, मत्लब-मतलब, सक्ता-सकता, मारने वाला-मारनेवाला, होन हार- होनहार, राम ने-रामने, अङ्-अंग, पण्डा-पंडा, भक्त-भक्त, हँ-हैं, पक्का-पक्का। भाषा के विकास में यही वह काल होता है जब मानकीकरण की आवश्यकता होती है। इस काल में यह कार्य मुख्य रूप से पत्रकारों के हाथों सम्पन्न हुआ। पत्र-पत्रिकाओं में वर्तनी और व्याकरण के मुद्दों पर लेख छपने शुरू हुए और

Scanned by TapScanner

विद्वानों के बीच इनके पक्ष और विपक्ष के वाद-विवाद का दौर शुरू हुआ। भारतेन्दु, प्रतापनारायाण मिश्र और बालमुकुन्द गुप्त ने भी भाषा व वर्तनी से संबंधित कई मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने **सरस्वती** (1900) के माध्यम से लिखित भाषा, वर्तनी वाक्यरचना और व्याकरण संबंधी कई प्रकार की त्रुटियों का संशोधन कार्य शुरू किया और मानक रूपों के विकास की ओर लेखकों और पाठकों का ध्यान आकर्षित किया। 1905 में प्रकाशित एक लेख भाषा और व्याकरण में उन्होंने लोगों की प्रतिक्रियाएँ आमंत्रित की कि शुद्ध रूप "लेखनी उठानी चाहिए" होना चाहिए या "लेखनी उठाना चाहिए" 'ठहरा' लिखना चाहिए या 'ठरा', 'पहचान्ना' ठीक है या 'पहचानना'।

हिंदी तथा देवनागरी दोनों के लिए यह एक संक्रमण काल था क्योंकि हिंदी एक ओर संस्कृत के प्रभाव से अपने को धीरे से मुक्त कर अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रही थी और दूसरी ओर उर्दू की अरबी-फारसी लिपि से अलग देवनागरी को अपनी अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम बनाने की कोशिश कर रही थी। तीसरी ओर, अंग्रेजी भाषा, रोमनलिपि तथा नई मुद्रण-प्रणाली के संपर्क में आकर यह अपने को आधुनिक बनाने की हरचंद कोशिश कर रही थी।

हिंदी के छापाखानों में इस समय देवनागरी के वे सभी टाइप फॉन्ट थे जिनका संस्कृत में प्रयोग होता था। संस्कृत और हिंदी की पुस्तकें सामान्यत: एक ही छापेखाने में छपती थीं, इसलिए वर्णों, के वे सभी रूप हिंदी में प्रयुक्त होते थे जो संस्कृत में हो सकते थे जैसे गङ्गा मुद्दत, पञ्च, गण, आदि। संस्कृत के विद्वान या पंडित हिंदी में भी लिखते थे, इसलिए हिंदी तथा संस्कृत की वर्तनी और वर्णों में ये अभेद मानते थे।

8.3.2 द्वितीय चरण

1) **पहला प्रयास** : मानकीकरण के दूसरे चरण में देवनागरी लिपि में सुधार का पहला संस्थागत प्रयास हमें 1941 में **हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग** द्वारा स्थापित लिपि सुधार समिति में मिलता है। समिति ने सबसे पहले लिपि-सुधार के मूलभूत सिद्धांत निर्धारित किए और फिर उनके आधार पर देवनागरी में सुधार के कई सुझाव प्रस्तुत किए। कुछ प्रमुख सुझाव इस प्रकार हैं :

1) 'अ' की बारहखड़ी बनाई जाए, अर्थात जिस प्रकार 'अ' में उपयुक्त मात्राएँ जोड़कर हम 'आ', 'ओ', 'औ' स्वर लिखते हैं, उसी तरह शेष स्वरों को भी लिखा जाना चाहिए, जैसे अि, अी, अु, अू, अे, अै। इस विधान में इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ वर्ण देवनागरी वर्णमाला से हट जाएँगे।

2) मात्राएँ व्यंजन वर्णों, के बाद लिखी जाएँ, वर्णों में न जोड़ी जाएँ। इस विधान के अनुसार पीर, सूर, पैसा, पौधा, धर्म, कृपा शब्द इस प्रकार लिखे जाएँगे: प ीर, स ूर, प ैसा, प ौधा, ध र्म, क ृपा।

3) पंचम वर्ण (ङ, ञ, ण, न्, म्) के स्थान पर अनुस्वार का ही प्रयोग हो बशर्ते कि इसका प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इस व्यवस्था के अनुसार अङ्, पञ्च, पण्डा, चन्दन, कम्पन की जगह अंग, पंच, पंडा, चंदन तथा कंपन रूपों का प्रयोग होगा।

4) जिन अक्षरों में खड़ी पाई न हो उन अक्षरों से यदि संयुक्ताक्षर बनाना हो तो पहले और दूसरे वर्ग के बीच हाइफन या संयोजक चिह्न (-) लगाया जाए, लेकिन यह चिह्न पहले वर्ण से सटाकर लगाया जाए। इसके अनुसार 'लट्टू' और 'बुड्ढा' शब्द इस प्रकार लिखे जाएँगे,-लट-टू, बुड-ढा।

Scanned by TapScanner

इन सुझावों के पीछे निहित सिद्धान्त यह था कि हर वर्ण रेखीय ढंग से एक के बाद एक लिखा जाए, जैसे अंग्रेजी में लिखा जाता है। कोई भी मात्रा या वर्ण, किसी दूसरे वर्ण के ऊपर-नीचे आगे-पीछे न जोड़ा जाए। देवनागरी प्रकृति से चित्रात्मक लिपि है जिसका मुख्य आधार हस्तलेखन कौशल है। फलस्वरूप इसके वर्णों के चारों ओर चित्र की तरह मात्राओं या अन्य वर्णों की बुनावट होती है। मुद्रण तथा टाइपिंग के लिए रेखीय लिपि अधिक उपयुक्त होती है। अत: समिति ने देवनागरी वर्णमाला को रेखीय लिपि का स्वरूप देने का प्रयास किया। बुनियादी तौर पर ठीक होते हुए भी समिति के इन सुझावों को कई कारणों से हिंदी भाषा-समाज में स्वीकार नहीं किया।

देवनागरी लिपि के सुधार की दिशा में दूसरा महत्वपूर्ण प्रयास **काशी नागरी प्रचारिणी सभा** था। सभा ने संवत् 2002 (यानी सन् 1945)में हिंदी तथा संस्कृत के संदर्भ में एक लिपि सुधार समिति गठित की जिसने देवनागरी लिपि में भारी परिवर्तन के सुझाव दिए। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं।

1) देवनागरी के सभी वर्ण, खड़ी पाई युक्त हों। जो वर्ण, खड़ी पाई युक्त नहीं हैं, उनमें आवश्यक परिवर्तन कर उन्हें खड़ी पाई युक्त बनाया जाए। उदाहरण के लिए, प फ, ब म, स खड़ी पाई युक्त हैं, लेकिन ट, ह, र, छ आदि खड़ी पाई युक्त नहीं हैं। अत: उन्हें बदलकर खड़ी पाई के साथ लिखने का सुझाव दिया गया।

2) हर व्यंजन वर्ण के दो भाग हों। पहला भाग स्वररहित व्यंजन का प्रतीक होगा और दूसरा, जो खड़ी पाई होगी, उस व्यंजन में निहित स्वर का प्रतीक होगा। यदि खड़ी पाई को हटा दिया जाए तो उस अंश से स्वररहित व्यंजन का बोध होगा और यदि खड़ी पाई उससे जुड़ी हो तो उससे स्वरयुक्त व्यंजन का बोध होगा, जैसे:

व्यंजन (स्वर रहित)	**व्यंजन** (स्वर युक्त)
ट	प
स्	स
ˏ	र
ल्	ल

3) हर स्वर-वर्ण 'उ' चिह्न से प्रारंभ हो और उसके बाद जो भी अंश उसमें जुड़े वह उसकी मात्रा हो जो स्वर जिह्वा की मात्रा से उच्चरित होते हैं (जैसे ई, ए) उनकी मात्रा शिरोरेखा से ऊपर तक जाए, जैसे उℓ अी। जो स्वर जिह्वामूल से उच्चरित होते हैं उ ऊ), उसकी मात्रा वर्ण, के नीचे तक उतरी हो, जैसे अू अ,।

2) दूसरा प्रयास: 31 जुलाई, 1947 को उत्तर प्रदेश सरकार ने आचार्य नरेन्द्र देव की अध्यक्षता में सात सदस्यों की नागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया जिसका उद्देश्य काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा सुझाए गए देवनागरी लिपि संबंधी परिवर्तनों की उपयुक्तता की परीक्षा करना तथा सामान्य व्यवहार और मुद्रण, कम्पोजिंग तथा टाइपराइटर सभी दृष्टियों से देवनागरी लिपि की उपयुक्ता पर विचार करना था। इस समिति ने हिंदी, संस्कृत तथा मराठी तीनों भाषाओं के संदर्भ में उपर्युक्त मुद्दों पर अत्यंत विस्तार से विचार किया और अंत में काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा सुझाए गए परिवर्तनों को मोटे रूप से अस्वीकार कर दिया।

Scanned by TapScanner

3) **तीसरा प्रयास:** इसके बाद सन् 1953 में भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉ. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में देवनागरी लिपि सुधार परिषद की एक बैठक लखनऊ में हुई जिसमें पंडित गोविन्द बल्लभ पंत तथा श्री के.एम. मुंशी भी थे। इस परिषद में अनेक मुख्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, भाषाशास्त्री और साहित्यकार भी शामिल थे। परिषद के कुछ प्रमुख सुझाव इस प्रकार हैं:

1) देवनागरी लिपि के सभी स्वर यथावत् रहने दिये जाएँ। केवल 'ऋ' की जगह 'अ' का प्रयोग किया जाए।

2) मात्राएँ भी यथावत् रखी जाएँ, केवल ह्रस्व 'इ' की मात्रा (ि) को दीर्घ ई (ी) की तरह दायीं ओर कर दिया जाए जो वर्ण के बाद लगे और जिसकी खड़ी पाई आधी हो, जैसे दीन, गीन।

3) नागरी के कुछ व्यंजनों के दो रूप प्रचलित थे, जैसे झ-झ , ण-रा, क्ष-क्ष, ज्ञ-ज्ञ, ल-ल, छ-छ आदि। इनमें से पहले रूप को रखने का सुझाव दिया गया। इस प्रकार 'ख' को 'ख', भ को 'भ' और ध को 'ध' लिखने का भी सुझाव दिया गया।

4) शिरोरेखा का प्रयोग जारी रखा जाए। इसी प्रकार-और = के भेद को भी बनाए रखा जाएँ। देवनागरी के अंक भी यथावत् स्वीकार किए जाएँ, केवल ९ के स्थान पर 9 का प्रयोग किया जाए।

देवनागरी में हुए इन संशोधनों को दृष्टि में रखते हुए मराठी के संदर्भ में भी कई समानधर्मी समितियों का गठन हुआ। बंबई सरकार ने 1955 में लखनऊ देवनागरी लिपि परिषद द्वारा संशोधित देवनागरी लिपि को यथावत् स्वीकार कर लिया और प्रकाशकों, पाठ्यपुस्तक लेखकों तथा अन्य संबंधित विभागों को संशोधित देवनागरी लिपि का प्रयोग करने का आदेश दिया। लेकिन भाषा या लिपि का मानकीकरण केवल आदेशों के आधार पर संपन्न नहीं होता, जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है; मानक रूपों का चयन या 'कोडीकरण' भाषा-मानकीकरण प्रक्रिया का पहला चरण है। दूसरा अनिवार्य चरण है इन कोडीकृत रूपों का व्यापक प्रयोग और उनकी सामाजिक स्वीकृति।

8.3.3 तृतीय चरण

लिपि और वर्तनी सुधार का तीसरा चरण स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा शासकीय स्तर पर किए गए प्रयासों से शुरू होता है। सरकार ने तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय को यह कार्य सौंपा जिसने देश भर के विद्वानों, साहित्यकारों, भाषाविदों, संपादकों आदि की एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जिसने लिपि और वर्तनी के मानकीकरण के प्रश्न पर अखिल भारतीय स्तर पर विचार किया। इसका विवरण आगे भाग 8.4 में सविस्तार दिया जा रहा है।

8.4 देवनागरी लिपि और वर्तनी का मानकीकरण: शिक्षा मंत्रालय का प्रयास

देवनागरी के लिए किए गए संशोधनों में से कुछ को तो सामाजिक स्वीकृति मिली, लेकिन अधिकांश के संबंध में मतभेद और भ्रम की स्थिति बनी रही। उधर दूसरी ओर, इसी बीच टाइपराइटर, मुद्रण, टेलिप्रिन्टर और बाद में कंम्प्यूटर के व्यापक प्रयोग के

Scanned by TapScanner

फलस्वरूप देवनागरी के मानकीकरण का प्रश्न और भी अधिक प्रासंगिक हो गया। द्वितीय और विदेशी भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भी देवनागरी के मानक रूपों को स्थिर करना आवश्यक हो गया। इस बीच देवनागरी के कई रूपों को लेकर काफी समय तक साहित्यकारों, पत्रकारों, शिक्षकों तथा अन्य बुद्धिजीवियों के बीच काफी मतभेद चलता रहा और हर व्यक्ति या वर्ग अपनी इच्छानुसार अलग-अलग रूपों का प्रयोग करने के लिए अपने को स्वतंत्र समझने लगा। फलस्वरूप देवनागरी के अनेक वर्णों तथा वर्तनी-रूपों के प्रयोग में अराजकता की-सी स्थिति पैदा हो गई। विशेष रूप से टाइपराइटर तथा टेलिप्रिन्टर के कुंजीपटल तथा मुद्रण के फॉन्ट के संदर्भ में इन रूपों के मानकीकरण की आवश्यकता और भी अधिक महसूस की जाने लगी।

अतः अखिल भारतीय स्तर पर देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण करने के उद्देश्य से तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय ने सन् 1961 में देश भर के शीर्षस्थ विद्वानों, भाषाविदों, वैज्ञानिकों, साहित्कारों तथा पत्रकारों की एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। समिति ने सन् 1962 में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कीं जिन्हें सरकार ने स्वीकृत कर लिया। तद्नुसार सन् 1967 में सरकार ने केंद्रीय हिंदी निदेशालय के माध्यम से **'हिंदी वर्तनी का मानकीकरण'** शीर्षक पुस्तिका व्याख्या तथा उदाहरण सहित प्रकाशित की। देवनागरी के ये तथाकथित मानक रूप एक लंबे अर्से से न्यूनाधिक मात्रा में प्रचलन में हैं और कुछ पर्याप्त विवाद के विषय भी रहे हैं। अतः आज यह समीचीन प्रतीत होता है कि सामाजिक ग्राह्यता की दृष्टि से इन सिफारिशों का पुनर्मूल्यांकन किया जाए। मूल्यांकन से पूर्व हम शिक्षा मंत्राालय की इन सिफारिशों को संक्षेप में उद्धृत करेंगे, क्योंकि ये देवनागरी और हिंदी वर्तनी के मानकीकरण के अद्यतन प्रयासों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

सिफारिशें चार शीर्षकों के अंतर्गत हैं : 1) मानक हिंदी वर्णमाला और अंक, 2) हिंदी वर्तनी का मानकीकरण, 3) हिंदी के संख्यात्मक शब्दों की एकरूपता 4) परिवर्धित देवनागरी।

8.4.1 मानक हिंदी वर्णमाला और अंक

1) जिन वर्णों के एकाधिक रूप प्रचलन में थे उनमें से एक वर्ण, को ही मानक स्वीकार किया गया, जिससे इतर रूप धीरे-धीरे प्रचलन से लुप्त हो जाएँ। ये वर्ण हैं :

   मानक रूप : अ ऋ छ झ ण ल क्ष ज्ञ

   इतर रूप :

2) देवनागरी वर्णमाला में तीन वर्ण ऐसे थे जिनमें भ्रम की गुंजाइश थी : रव, ध, भ। इनके वर्णों की आकृति में थोड़ा परिवर्तन कर इन्हें ख, घ, म वर्णों से भिन्न कर दिया गया। इस समय इनके मानक रूप तथा प्रचलित इतर रूप इस प्रकार हैं :

   मानक रूप : ख, ध, भ

   प्रचलित इतर रूप :

Scanned by TapScanner

3) अंग्रेजी शब्द call, coffee आदि में प्रयुक्त प्रथम स्वरों के लिए देवनागरी वर्णमाला में कोई विधान नहीं था। अतः देवनागरी में ॅ के चिह्न का विधान किया गया, जैसे कॉल, कॉफी।

4) परंपरागत देवनागरी वर्णमाला में उर्दू के व्यंजन ख़, फ़, ज़, क़, ग़ का विधान नहीं था। इनमें से ख़, फ़, ज़ को देवनागरी वर्णमाला में शामिल किया गया, लेकिन क़, ग़ को नहीं।

5) परंपरागत देवनागरी में ड़, ढ़ का विधान नहीं था। कालांतर में विकसित इन दो ध्वनियों को भी वर्णमाला में शामिल कर दिया गया। मराठी में प्रयुक्त 'ळ' वर्ण को भी देवनागरी वर्णमाला में स्वीकार किया गया।

6) भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप को स्वीकार किया गया, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 संविधान के अनुच्छेद 343 (1) में भी लिखा है कि संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा, परंतु राष्ट्रपति संघ के किसी भी राजकीय प्रयोजन के लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूपों के साथ-साथ देवनागरी रूप का प्रयोग भी प्राधिकृत कर सकते हैं। देवनागरी में नौ के दो-तीन रूप में प्रचलन में थे- ६, ९, ९, ६। समिति ने मराठी में प्रयुक्त रूप ९ को ही मानक स्वीकार किया।

8.4.2 हिंदी वर्तनी का मानकीकरण

1) **संयुक्त वर्ण** : खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप खड़ी पाई को हटाकर ही बनाया जाए, जैसे ख्याति, कच्चा, नगण्य, श्लोक, उल्लेख आदि। 'क' और 'फ' के संयुक्ताक्षर 'भक्त', 'पक्का', 'दफ्तर' की तरह बनाए जाएँ संयुक्त, भक्त, पक्का, दफ्तर के रूप में नहीं।

ट, ठ, ड, ढ, द और ह के संयुक्ताक्षर हल् चिह्न लगाकर बनाए जाएँ, जैसे : लड्डू, बुड्ढा, विद्या, चिह्न, ब्रह्मा(लड्डू, बुड्ढा, विद्या, चिह्न, ब्रह्मा, नहीं)

संयुक्त वर्णों में 'र' के ये रूप मानक होंगे : प्रेम, धर्म, राष्ट्र, श्रम ('श्रम' नहीं), क्रम (क्रम नहीं)। त्र और त्र दोनों रूप मान्य होंगे।

हल् चिह्नयुक्त वर्ण, से बनने वाले संयुक्त वर्ण के द्वितीय व्यंजन के साथ 'ि' की मात्रा का प्रयोग संबंधित व्यंजन के तत्काल पूर्व ही किया जाए, न कि पूरे युग्म से पूर्व, जैसे :

मानक : चिट्ठियाँ, द्वितीय, बुद्धि, चिह्नित

संस्कृत में संयुक्ताक्षर पुरानी शैली में भी लिखे जा सकेंगे, जैसे संयुक्त, चिह्न, विद्या, विद्वान, वृद्ध लड्डू, द्वितीय, बुद्धि आदि।

2) **विभक्ति चिह्न** : विभक्ति चिह्न संज्ञा शब्दों से अलग लिखे जाएँ, जैसे मोहन ने, मोहन को, मोहन से आदि। सर्वनाम शब्दों में ये विभक्ति चिह्न मिलाकर लिखे जाएँ, जैसे उसने, उसको, उससे आदि। लेकिन यदि सर्वनाम शब्द के बाद दो विभक्ति चिह्न हों तो पहला मिलाकर और दूसरा अलग लिखा जाए, जैसे उसके लिए, उसमें से आदि। सर्वनाम और विभक्ति के बीच 'ही' 'तक' आदि निपात हो तो विभक्ति को पृथक लिखा जाए, जैसे 'आप ही के लिए', आदि।

3) **श्रुतिमुलक 'य', 'व'** : जहाँ श्रुतिमूलक य, व का प्रयोग स्वरों के विकल्प में हो, वहाँ स्वर रूप का ही प्रयोग किया जाए, अर्थात किए-किये, नई-नयी लिए-लिये,

Scanned by TapScanner

गए-गये, हुआ-हुवा, कौआ-कौवा आदि में स्वरात्मक रूप किए, नई, लिए, हुआ, कौआ, का ही प्रयोग किया जाए। यह नियम वहाँ लागू नहीं होगा जहाँ शब्द में आए 'य', 'व' व्याकरणिक रूप न होकर शब्द के ही मूल तत्व हों, जैसे स्थायी, अव्ययी भाव, दायित्व (यहाँ स्थाई, अव्यई भाव, दाईत्व नहीं लिखा जाएगा)

4) **अनुस्वार ं तथा चंद्रबिंदु ँ** : संयुक्त व्यंजन के रूप में जहाँ पंचमाक्षर के बाद सवर्गीय शेष चार वर्णों में से कोई वर्ण हो, वहाँ एकरूपता और मुद्रण व लेखन की सुविधा के लिए अनुस्वार का ही प्रयोग किया जाए, जैसे अंक, चंचल, ठंडा, अंत। इन्हें इस प्रकार न लिखा जाए-

ठण्डा, अन्त,।

यह नियम वहाँ लागू नहीं होगा जहाँ पंचमाक्षर के बाद किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ण आए या वही पंचमाक्षर दुबारा आए, जैसे वाङ्मय, अन्य, , सम्मान, सम्मति, चिन्मय, उन्मुख आदि। इन्हें इस प्रकार न लिखा जाए-वांमय, अंय, अनं, संमान, संमिति, चिंमय, उंमुख आदि।

चंद्रबिंदु ँ के स्थान पर अनुस्वार ं का प्रयोग न किया जाए, जैसे कहाँ, वहाँ, चाँद, हँसना, आँगन लिखा जाए, कहां, वहां, चांद, हंसना, आंगन नहीं, शिरोरेखा के ऊपर जुड़नेवाली मात्राा के साथ, चंद्रबिंदु के स्थान पर मात्रा बिंदु का प्रयोग किया जाए, जैसे में हैं, में। इन्हें इस प्रकार न लिखा जाए-मैं, हैं, मैं।

5) **विदेशी ध्वनियाँ** : अरबी-फारसी से आई ध्वनियों के संबंध में समिति की सिफारिश सुस्पष्ट नहीं है। समिति के शब्दों में, "अरबी-फारसी एवं अंग्रेजी की मुख्यत: पाँच ध्वनियाँ (क़, ग़, ख़, ज़, फ़) हिंदी में आई हैं जिनमें से दो (क़ और ग़) तो हिंदी उच्चारण (क, ग) में परिवर्तित हो गई हैं, एक (ख़) लगभग हिंदी में 'ख' में खपने की प्रक्रिया में है और शेष दो (ज़, फ़) धीरे-धीरे अपना अस्तित्व खोने/बनाए रखने के लिए संघर्षरत हैं।" समिति का यह मत है कि क़लम, क़िला, द़ाग की जगह कलम, किला, दाग हिंदी में स्वीकार्य है लेकिन 'ज़' और 'फ़' का प्रयोग जहाँ आवश्यक हो, किया जाना चाहिए, विशेष रूप से जहाँ शुद्ध विदेशी रूप में प्रयोग अभीष्ट हो, जैसे खाना-ख़ाना, राज-राज़, फन-फ़न का अंतर महत्वपूर्ण है।

6) हिंदी के कुछ शब्दों के दो रूप बराबर चल रहे हैं और दोनों रूप विद्वत समाज में मान्य हैं। अत: समिति ने इनकी एकरूपता की आवश्यकता नहीं समझी। अत: इनके दोनों रूप मान्य हैं, जैसे गरमी/गर्मी, गरदन/गर्दन, सरदी/सर्दी, वापिस/वापस, बरतन/बर्तन, दुकान/दूकान आदि।

8.4.3 हिंदी के संख्यावाचक शब्दों में एकरूपता

हिंदी प्रदेशों में संख्यावाचक शब्दों के उच्चारण और लेखन में एकरूपता का अभाव दिखाई देता है। अत: 1980 में आयोजित भाषा वैज्ञानिकों की एक बैठक में एक से सौ तक के सभी संख्यावाचक शब्दों के मानक रूप स्वीकार किए गए।

8.4.4 परिवर्धित देवनागरी

देवनागरी लिपि को अन्य प्रमुख भारतीय भाषाओं की विशिष्ट ध्वनियों को लिप्यांतरित करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने भाषाविदों की सहायता से परिवर्धित देवनागरी का एक प्रारूप प्रस्तुत किया। इसमें दक्षिण भारत की भाषाओं,

Scanned by TapScanner